न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर [म0प्र0]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह एड.
द्वारा आज दि. 7-7-15 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

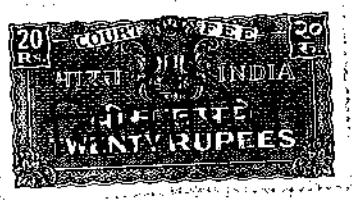

निगरानी 2087-II-15

1. परमेश्वर तनय झूहरू बढ़ई निवासी ग्राम मढ़ीकला तहसील मनगवां जिला रीवा [म0प्र0]

2. रामेश्वर तनय झूहरू बढ़ई निवासी ग्राम मढ़ीकला तहसील मनगवां जिला रीवा [म0प्र0] --------पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

म0प्र0शासन --------गैरपुनरीक्षणकर्ता

वीरेन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट रीवा द्वारा प्रस्तुत
7-7-15

स्वमेव निगरानी न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल मनगवां नामान्तरण पंजी क्रमांक 14 निर्णय दिनांक 6-10-89 के परिपालन में भूमि खसरा क्रमांक 74/1क, रकबा 1.75 एकड़, एवं खसरा क्रमांक 74/1ग रकबा 1.25 एकड़, खसरा क्रमांक 114/1ख रकबा 1.26 ए0, स्थित ग्राम मढ़ीकला सर्किल मनगवां तहसील मनगवां जिला रीवा [म0प्र0] के वैध नामान्तरण की अविद्यता रहते हल्का पटवारी मढ़ीकला के द्वारा अवैध कार्यवाही की जाकर राजस्व अभिलेख पर दर्ज की गयी गलत प्रविष्ट का सुधार किया जाकर पूर्व की स्थिति कायम किये जाने हेतु ।

- -

स्वमेव निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 ।

- -

वीरेन्द्र कुमार सिंह
एडवोकेट
उच्च न्यायालय रीवा (म0 प्र0)

परमेश्वर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2087-II/15 ..... जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.3.16	प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए और उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। आवेदक का कहना है कि वाद भूमि रीवा महाराजा द्वारा पवाईदार को दी गई थी, जिनसे वह आवेदकगणों को 2-10-59 के पूर्व मिली। राजस्व निरीक्षक द्वारा वर्ष 1989 में आवेदकगण के पक्ष में उक्त भूमि का पंजी में नामान्तरण किया गया, किन्तु पटवारी द्वारा वर्ष 2004 में उक्त भूमि को शासकीय दर्ज कर दिया गया। इस कार्यवाही के विरुद्ध आवेदक ने प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने का अनुरोध किया है। विचारोपरान्त मैं इस प्रकरण को इस प्रक्रम पर रा.मं. में ग्राह्य किया जाना उपयुक्त नहीं समझता हूँ। अतः, मैं तहसीलदार मनगवां, जिला रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि वे आवेदक द्वारा रा.मं. के समक्ष उठाए गए बिन्दुओं को पहले न्यायालय में सुनें, आवेदक के वाद भूमि पर आधिपत्य आदि के इतिहास को देखें, और अपने स्तर से पहले यह देखें कि राजस्व निरीक्षक द्वारा	

R 2087-II/15 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	वर्ष 1989 एवं पटवारी द्वारा वर्ष 2004 में विषयांकित कार्यवाहियां सक्षम प्राधिकार एवं विधिक एवं तथ्यात्मक आधारों पर की गई हैं या नहीं । तदुपरान्त तहसीलदार अपने निष्कर्षों के प्रकाश में बोलते स्वरूप का उचित निर्णय लें ।	
	आदेश पारित ।	
	आवेदकगण अपना पक्ष पहले तहसीलदार मनगवां के समक्ष रखें ।	
	आवेदकगण एवं तहसीलदार, मनगवां सूचित हों ।	
	प्रकरण अग्राह्य होकर समाप्त । द.द.हो ।	
	(हस्ताक्षर) (सदस्य)	

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.